

(349)

(11/11)

बिहार सरकार
सहकारिता विभाग

पत्र संख्या 10794 पटना दिनांक 26.12.16
4/नि. पणन (या.) 24.12 Part-I

प्रभु,

अमृत लाल गीणा मा.प्र.सो.
प्रधान सचिव।

सेवा में,

सभी प्रमंडलीय संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ,
सभी जिला सहकारिता पदाधिकारी, सहयोग समितियाँ,
सभी जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, सहयोग समितियाँ,
सभी सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ,

विषय :- गोदाम/चावल मिल निर्माण के लिए समितियों के चयन हेतु निर्धारित अर्हता/मापदण्ड एवं समिति चयन जिला स्तर पर किये जाने के संबंध में।

महाशय,

उपरोक्त विषयक, कहना है कि पूर्व में सहकारी क्षेत्र में 1000, 500 एवं 200 मै.टन क्षमता के गोदाम/चावल मिल निर्माण हेतु समितियों का चयन मुख्यालय स्तर पर गठित चयन समिति द्वारा पैक्सों/व्यापारमंडलों के चयन हेतु विभाग द्वारा निर्धारित अर्हताओं/मापदण्डों के अनुरूप किया जाता रहा है। परन्तु समीक्षा के क्रम में पाया गया कि समितियों का चयन मुख्यालय स्तर पर होने के कारण इसमें कुछ स्थानीय एवं व्यावहारिक कमियाँ रह जाती है जो कि कालान्तर में विवाद/निर्माण कार्य के पूर्ण होने में अवरोध का कारण बनती हैं। अतः सरकार द्वारा उक्त समस्या को देखते हुए योजना के कार्यान्वयन हेतु समितियों के चयन का कार्य जिला स्तर पर चयन समिति का गठन कर कराने का निर्णय लिया गया है।

1. उपरोक्त आलोक में जिलों में समिति के चयन हेतु चयन समिति का गठन निम्नरूपेण की जाती है :-

- | | |
|--|--------------|
| (i) प्रमंडलीय संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ - | अध्यक्ष |
| (ii) जिला सहकारिता पदाधिकारी | - सदस्य सचिव |
| (iii) प्रबंध निदेशक, केन्द्रीय सहकारी बैंक लि. | - सदस्य |
| (iv) जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, सहयोग समितियाँ - | सदस्य |

उक्त चयन समिति के बैठक में गणपूर्ति हेतु कम से कम अध्यक्ष सहित 03 सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य होगी, किन्तु यदि किसी कारणवश गणपूर्ति में कमी रहती है तो जिला सहकारिता पदाधिकारी द्वारा इसकी सूचना निबंधक, सहयोग समितियाँ को दी जायेगी तथा इस संबंध में निबंधक, सहयोग समितियाँ द्वारा गणपूर्ति हेतु निदेश निर्गत किये जायेंगे।

2. निर्माण कार्य हेतु पैक्स/व्यापारमंडल द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाले भूमि के संबंध में निम्न अर्हताओं का अनुपालन आवश्यक होगा :-

(ii) पैक्स/व्यापारमंडल में गोदाम निर्माण हेतु समिति के कार्यक्षेत्र में उपलब्ध

भूमि की प्राथमिकता दी जाय। खास कर व्यापारमंडल में प्रत्येक स्तर पर उपलब्ध सरकारी भूमि पर ही गोदाम एवं चावल मिल का निर्माण किया जाय। यदि व्यापारमंडल को पूर्व से सरकारी भूमि उपलब्ध नहीं हो तो वे सरकारी भूमि उपलब्ध कराने हेतु सक्षम प्राधिकार से अधिग्रहण करेंगे तथा सरकारी भूमि उपलब्ध नहीं होने पर संबंधित अंचलाधिकारी से सरकारी भूमि अनुपलब्धता संबंधी प्रतिवेदन प्राप्त करने के पश्चात ही उक्त व्यापारमंडल के मुख्यालय में ही विधिवत दान अथवा लीज पर व्यापारमंडल के पक्ष में निबंधित कराते हुए निर्माण कार्य कराया जा सकेगा।

(iii) चूँकि पैक्स का गठन पंचायत स्तर पर किया गया है एवं उसके निबंधित उपविधि में मुख्यालय विनिर्दिष्ट है। अतः पैक्सों में सभी तराफों के निर्माण कार्य तथा सम्बन्धित पैक्स मुख्यालय में ही किया जाय।

(iv) यदि इस प्रकार समिति मुख्यालय में आवश्यक भूमि उपलब्ध नहीं हो पाता है तो समिति के कार्यक्षेत्र अंतर्गत सबसे अधिक आबादी वाले गाँव में तदनुसार सरकारी भूमि अथवा दान/लीज से भूमि प्राप्त कर निर्माण कार्य कराया जाय।

(v) यदि भूमि अध्यक्ष/सदस्यों द्वारा निजी भूमि दान पर उपलब्ध करायी जाती है तो वह जमीन दाता के आवास से पर्याप्त दूरी पर सार्वजनिक उपयोग लायक होगी। संबंधित BCEO इन मामले में स्थल जाँच कर भूमि की सार्वजनिक उपयोग लायक उपर्युक्तता के संबंध में आखिरी हो कर प्रतिवेदित करेंगे।

(vi) निर्माण कार्य हेतु उपलब्ध कराई गई भूमि मोटरबुल पथ (ट्रक, ट्रैक्टर आवागमन योग्य होना चाहिए) पर होना अनिवार्य होगा जो सालों भर आवागमन के योग्य एवं सुरक्षित स्थान पर अवस्थित हो।

(vii) पैक्स/व्यापारमंडल स्थित गोदाम एवं चावल मिल संयंत्र का भूमि सहित सम्पूर्ण स्वामित्व पैक्स का होगा जिसका संचालन सहकारिता अधिनियम/नियमावली तथा समिति के उपविधि के अनुसार किया जायेगा।

(viii) समितियों में योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु भूमि का चयन जिला स्तर पर गठित चयन समिति द्वारा स्थल निरीक्षण करते हुए एवं भूमि संबंधी कागजातों की समीक्षा कर पूर्णतः निर्विवाद विभागीय निदेश के अनुरूप भूमि का चयन करेंगे, ताकि भविष्य में निर्माण कार्य में होने वाले भूमि संबंधी विवाद से बचा जा सके। इसकी जिम्मेदारी पूर्णतः चयन समिति की होगी।

3. जिले में विभाग द्वारा निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप समितियों के चयन हेतु अर्हताएँ निम्नवत् होगी :-

- (i) राज्य में पैक्सों/व्यापारमंडलों में कार्यरत (जो गत वर्ष धान कुलह काय 11-12 हो) चावल मिलों को भूमि उपलब्ध रहने पर प्राथमिकता के आधार पर 1000/500 में टन क्षमता के गोदाम स्वीकृत किया जाएगा।
- (ii) ऐसे पैक्सों/व्यापारमंडल जहाँ चावल मिल स्वीकृत नहीं है, वहाँ पैक्स/व्यापार मंडल में जमीन उपलब्धता के आधार पर पैक्स/व्यापारमंडल द्वारा किये गये धान अधिप्राप्ति की मात्रा को ध्यान में रखते हुए प्राथमिकता के आधार पर गोदाम निर्माण हेतु पैक्स/व्यापारमंडल का चयन किया जाएगा।
- (iii) जिनका अंकेक्षण प्रतिवेदन अद्यतन हो।
- (iv) पैक्स/व्यापारमंडल चूककर्ता की श्रेणी में नहीं हो तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र लंबित नहीं हो।
- (v) गोदाम स्वीकृति में क्षेत्रीय आवश्यकता का ध्यान रखा जाएगा।
- (vi) भविष्य में शर्तों/मापदण्डों/प्रक्रिया में आवश्यकतानुसार अग्रेतर परिवर्तन का अधिकार विभाग को होगा।

इसके अलावा चावल मिल हेतु पैक्स/व्यापारमंडल के चयन में धान की उत्पादकता एवं उक्त क्षेत्र में चावल मिल की अनुपलब्धता का ध्यान रखना आवश्यक होगा।

उपरोक्त आलोक में चयन समिति द्वारा भूमि उपलब्ध कराने वाले पैक्स/व्यापारमंडल का चयन लक्ष्य के अनुरूप किया जायेगा।

4. जिलों में गोदाम/चावल मिल के निर्माण हेतु लक्ष्य का निर्धारण निबंधक, सहयोग समितियाँ द्वारा गठित कमिटी द्वारा किया जायेगा, जो क्षेत्रीय आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए वर्षवार निर्धारित लक्ष्य/उपलब्ध राशि के अनुरूप आवश्यकता/समरूपता को ध्यान में रखते हुए गोदाम एवं चावल मिल निर्माण हेतु लक्ष्य निर्धारित करेंगे। जिसे निबंधक, सहयोग समितियाँ द्वारा जिलों को सूचित करते हुए इसकी प्रति विभाग को उपलब्ध करायेगा। तदनुरूप विभाग द्वारा जिलों को निर्माण कार्य हेतु राशि आवंटित की जायेगी।
5. विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये राशि द्वारा जिला में गठित चयन समिति द्वारा जिला स्तर पर गोदाम की स्थानीय आवश्यकता एवं क्षमता तथा जमीन की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए 1000/500 या 200 मे.टन क्षमता के गोदाम का निर्माण करायेगा, किन्तु ये विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये राशि के तहत ही होगा, तथा इसमें किसी प्रकार के विचलन से यदि राशि के अभाव में निर्माण कार्य अधूरा रहता है तो इसके लिए चयन

342

क्र.स.	क्षमता (मे.टन में)	राशि (लाख में)
1	1000	51.32
2	500	26.00
3	200	12.90

उपरोक्त आलोक में समितियों के दायन कर कर सततय पूर्व न निर्गत। समिति को राशि उपलब्ध कराने के संबंध में पत्रांक 788 दिनांक 25.02.2013 एवं भूमि लीज नीति संबंधी ज्ञापक 1058 दिनांक 27.02.2013 एवं अन्य समय-समय पर निर्गत दिशा निर्देश/विभागीय निदेश के आलोक में निर्माण कार्य पूर्ण कराने की जिम्मेदारी जिला सहकारिता पदाधिकारी की होगी।

विशाल शर्मा

Am
26.12.16
(अमृत लाल शर्मा)
प्रधान सचिव।